न्यायालयः—अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, हिलसा, नालंदा।

सत्र विचारण संख्या 537/2011

रजि. संख्या 8872/2014

बिहार राज्य मार्फत् सूचिका कांति देवी पति विशुनदेव प्रसाद,
साकिन मौआ, थाना परवलपुर, जिला नालंदा. . . . . .अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन, पिता— भत्तु महतो, उम्र 70 वर्ष,
2. राकेश कुमार, पिता— सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन, उम्र 46 वर्ष,
साकिन मौआ, थाना परवलपुर, जिला नालंदा . . . . . अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष के तरफ सेः— श्री दिवाकर सिंह, विद्वान अधिवक्ता,
बिहार राज्य के ओर सेः—श्री बृजमोहन प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजक,
निर्णय की तिथिः—13.03.2026
उपस्थितः—दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

प्राथमिकी : एकंगरसराय (परवलपुर), थाना कांड सं0 — 253/06, दिनांक 17.10.2006
संज्ञान : दिनांक—02.06.2010
दौरा सुपुर्द : दिनांक—17.09.2011, को जे.एम., हिलसा द्वारा दौरा सुपुर्दगी
थाना : हिलसा,
जिला : नालन्दा,
आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—302, 458, 120 (बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम।

निर्णय

1. उपरोक्त नामांकित सभी अभियुक्तों पर भा0द0वि0 की धारा—302/34, 458/34, 120 (बी) एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक जो कि सूचिका कांति देवी के फर्द बयान पर आधारित है, संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका दिनांक 17.10.2006 की रात्रि लगभग

00:30 बजे जब उसकी पतोहू (मृतिका संगीता देवी) अपने घर में किवाड़ लगाकर सोयी हुयी थी तभी अचानक पतोहू के कमरे से 'बाप रे बाप, दौड़ो माई हमार जान मार रहल है', को सुनकर सूचिका अपनी बड़ी पतोहू जो बगल के कमरे में सोयी थी, के साथ गयी और लालटेन की रोशनी में देखी कि उसके ही गांव के सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन, अनिल महतो, राकेश प्रसाद, छोटु प्रसाद एवं अन्य 5–6 व्यक्ति अपने–अपने हाथ में बंदूक एवं छुरा लिये हुये थे। जब सूचिका और उसकी बड़ी पतोहू दौड़कर घायल पतोहू के घर में जाने लगे तो ये सभी लोग उनदोनों पर गोली फायर करने लगे तो सूचिका एवं उसकी बड़ी पतोहू बगल के कमरे में जान बचाने के लिये छिप गये और वहीं रोने–चिल्लाने और हल्ला करने लगे। उपरोक्त अभियुक्तगण सूचिका के पुत्र मुरारी प्रसाद को खोज रहे थे। हो–हल्ला की आवाज सुनकर उपरोक्त अभियुक्तगण मुख्य दरवाजे को खोलकर फायर करते हुये निकल गये। जब सूचिका एवं उसकी बड़ी पतोहू कमरे से निकले और घायल पतोहू (मृतिका संगीता देवी) के कमरे में गये तो उसे खून से लथफथ पाया और इस दौरान गांव के कई लोग भी इकट्ठा हा गये थे। जख्मी पतोहू को इलाज हेतु परवलपुर ले जाया गया। रास्ते में सूचिका के घायल पतोहू द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों का नाम लेते हुये बोली कि सभी अभियुक्त मुरारी प्रसाद को जान मारने की नियत से खोज रहे थे। रास्ते में ही सूचिका की घायल पतोहू संगीता देवी की मृत्यु हो गयी। घटना का कारण सरकारी स्कूल निर्माण हेतू आये फंड निकासी से उत्पन्न विवाद बताया गया है तथा घटना में उपरोक्त अभियुक्तों के आलावा अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन की पत्नी मालती देवी एवं उसकी पुत्री छोटिया की भी संलिप्तता बतायी गयी है।

3. सूचिका के उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर एकंगरसराय (परवलपुर) थाना काण्ड सं0 253/06, दिनांक 17.10.2006, को केस दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0 01/07, दिनांक 10.01.2007 के द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्ता मालती सिंहा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–458, 302, 120 (बी)/34 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा अभियुक्तगण सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन, राकेश कुमार, अनिल प्रसाद के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या 80/07, दिनांक 31.10.2007, अन्तर्गत धारा–458, 302, 120 (बी)/34 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् संज्ञानोपरान्त अभिलेख विचारण हेतु सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया, जो स्थानान्तरण के क्रम में इस न्यायालय को दिनांक 11.06.2024 को प्राप्त हुआ।

4. उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थिति के पश्चात् दिनांक 03.03.2012 को उनके विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा–302/34, 458/34, 120 (बी) एवं

27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन कर अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि विचारण के क्रम में अभियुक्त अनिल प्रसाद एवं अभियुक्ता मालती सिंहा की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम क्रमशः आदेश दिनांक 17.12.2024 एवं दिनांक 29.08.2024 इस वाद से विलोपित किया जा चुका है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में यह वाद अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन एवं राकेश कुमार के विरूद्ध अग्रसर है।

5. अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0 मे भी अपने ऊपर लगाए गए दोषों से इन्कार किया गया तथा अपने आपको को निर्दोष बताया गया है।

6. इस वाद में विचारण का प्रमुख बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को संदेह से परे साबित करने करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

7. अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया, तथा न्यायालय द्वारा भी साक्षियों की उपस्थिति हेतु समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया। अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 06 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण इस वाद में कराया गया है जिसमें क्रमशः अभियोजन साक्षी सं0–01 धर्मेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार, (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह) अभियोजन साक्षी सं0–02 नरेश प्रसाद, (स्वतंत्र साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 मनु प्रसाद, (स्वतंत्र साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–04 रंजु देवी, (मृतिका की जेठानी), अभियोजन साक्षी सं0–05 कमलनयन प्रसाद (स्वतंत्र साक्षी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–06 कांति देवी (सूचिका) को परिक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 06, कांति देवी, जो कि इस कांड की सूचिका एवं मृतिका संगीता देवी की सास है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण के द्वौरान कथन किया गया है कि वह इस केस के सूचिका है। घटना 20 वर्ष पूर्व रात के समय की थी। वह अपने घर के बाहर बरामदे में सोयी थी। उसकी बहू संगीता बाप–बाप चिल्लाई तो वह वहां गयी तो देखी कि उसकी बहु चिल्ला रही है। साक्षी द्वारा अग्रतर कथन किया गया कि उसकी बहु को किसने मारा। उसने नहीं देखा, न ही उसकी बहु ने उसे कुछ बताया था। उसकी बहु को गोली लगी थी और इलाज के लिये ले जाने

के क्रम में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने किसी को गोली मारते नहीं देखा। साक्षी द्वारा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गयी।

अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि उसके स्वेच्छा से गवाही दी गयी है। बहू के चिल्लाने पर वह रूम में गयी थी। वह रूम में किसी चोर को नहीं देखी थी। सभी चोर भाग चुके थे। किसी को नहीं पहचाने। दारोगा जी ने उसका हस्ताक्षर सादे पन्ने पर करवाया था। उसके पति का नाम विशुनदेव प्रसाद है। वह बीमार एवं लकवाग्रस्त है तथा बेड पर ही रहता है। इसके सिवा वह कुछ नहीं जानने की बात कथित करती है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 05, कमलनयन प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 04, रंजू देवी, जो कि मृतिका की जेठानी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक से इतर हटकर यह कथन किया गया कि संगीता देवी की मृत्यु डकैती के दौरान हुयी थी। उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी थी बल्कि उसे बाद में सूचना मिली थी कि संगीता देवी की मृत्यु गोली लगने से हो गयी थी। डकैती किसने किया इसकी कोई जानकारी उसे नहीं है, न ही उसने पुलिस में कोई बयान दिया था। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03, मनु प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02, नरेश प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा

पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 01, धर्मेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार, जो कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है। यद्यपि की अपने हस्ताक्षर की पहचान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किया है परन्तु शेष अभियोजन कथानक से इंकार किया है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना में शामिल लोगों की जानकारी से भी इंकार किया है।

14. दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस काण्ड में अभियोजक को अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 06, कांति देवी, जो कि इस कांड की सूचिका एवं मृतिका संगीता देवी की सास है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण के द्वौरान कथन किया गया है कि, घटना 20 वर्ष पूर्व रात के समय की थी। वह अपने घर के बाहर बरामदे में सोयी थी। उसकी बहू संगीता बाप–बाप चिल्लाई तो वह वहां गयी तो देखी कि उसकी बहु चिल्ला रही है। साक्षी द्वारा अग्रतर कथन किया गया कि उसकी बहु को किसने मारा। उसने नहीं देखा, न ही उसकी बहु ने उसे कुछ बताया था। उसकी बहु को गोली लगी थी और इलाज के लिये ले जाने के क्रम में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने किसी को गोली मारते नहीं देखा। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि उसके स्वेच्छा से गवाही दी गयी है। बहू के चिल्लाने पर वह रूम में गयी थी। वह रूम में किसी चोर को नहीं देखी थी। सभी चोर भाग चुके थे। किसी को नहीं पहचाने। दारोगा जी ने उसका हस्ताक्षर सादे पन्ने पर करवाया था। उसके पति का नाम विशुनदेव प्रसाद है। वह बीमार एवं लकवाग्रस्त है तथा बेड पर ही रहता है। इसके सिवा वह कुछ नहीं जानने की बात कथित करती है। अभियोजन साक्षी संख्या 05, कमलनयन प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 04, रंजू देवी, जो कि मृतिका की जेठानी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक से इतर हटकर यह कथन किया गया कि संगीता देवी की मृत्यु डकैती के दौरान हुयी थी। उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी थी बल्कि उसे बाद में सूचना

मिली थी कि संगीता देवी की मृत्यु गोली लगने से हो गयी थी। डकैती किसने किया इसकी कोई जानकारी उसे नहीं है, न ही उसने पुलिस में कोई बयान दिया था। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 03, मनु प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02, नरेश प्रसाद, जो कि एक स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना के बारे में किसी जानकारी से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01, ार्मेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार, जो कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है। यद्यपि की अपने हस्ताक्षर की पहचान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किया है परन्तु शेष अभियोजन कथानक से इंकार किया है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पुलिस बयान से भी इंकार किया। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने पुलिस बयान से इंकार किया है और घटना में शामिल लोगों की जानकारी से भी इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियों के साक्षियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी सं0–01, धर्मेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार, (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह) अभियोजन साक्षी सं0–02 नरेश प्रसाद, (स्वतंत्र साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 मनु प्रसाद, (स्वतंत्र साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–04 रंजु देवी, (मृतिका की जेठानी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 कमलनयन प्रसाद (स्वतंत्र साक्षी) को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी सं0–06 कांति देवी, जो कि इस कांड की सूचिका है, के द्वारा भी किसी को घटना कारित करते नहीं देखा गया है न ही पुलिस को कोई बयान दिया गया है। उसके द्वारा अनुसंधान पदाधिकारी ने सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करवा लिया था तथा बाद में फर्द बयान बनाया था। अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध अपने केस को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

15. अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन, एवं 2. राकेश कुमार को भा0द0वि0 की धारा–302/34, 458/34, 120 (बी) एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत लगे आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। कार्यलय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 13.03.2026

लेखापित संशोधित एवं उदघोषित

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 13.03.2026